सार्वजनिक क्षेत्र में बाह्य लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर

लेखापरीक्षा सेवा सिएरा लियोन एवं भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक

के मध्य

समझौता ज्ञापन

लेखापरीक्षा सेवा सिएरा लियोन एवं भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इसके पश्चात सामूहिक रूप से "पक्षों" एवं व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा,

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के प्रावधानों एवं गतिविधि के मौलिक सिद्धांतों के साथ-साथ पारस्परिक सम्मान, विश्वास, समानता एवं साझेदारी के सिद्धांतों के अनुसार,

सार्वजनिक क्षेत्र में बाह्य लेखापरीक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की पारस्परिक आकांक्षा से आगे बढ़ते हुए,

निम्नलिखित सहमति पर पहुंचे हैं:

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष वर्तमान समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग करेंगे, अपनी क्षमता की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करेंगे तथा अपने राज्यों के कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूर्ण सम्मान करेंगे।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष द्विपक्षीय आधार पर तथा इंटोसाई एवं अन्य सहयोग प्रारूपों के ढांचे के भीतर सहयोग विकसित करने का ध्येय रखते हैं।

अनुच्छेद 3

पक्षों के सहयोग की मुख्य दिशाएँ एवं स्वरूप इस प्रकार हैं:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव, सूचना का आदान-प्रदान एवं क्रियाकलापों का आयोजन;
2. आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव, सूचना का आदान-प्रदान एवं गतिविधियों का आयोजन;
3. बाह्य लेखापरीक्षा में नए विकास, चुनौतियों एवं अच्छी प्रथाओं पर परामर्श आयोजित करना;
4. पक्षों की गतिविधियों से संबंधित सूचना एवं संदर्भ सामग्री का आदान-प्रदान, जिसमें बाह्य लेखापरीक्षा के क्षेत्र में मानक एवं पद्धतिगत विकास सम्मिलित हैं;
5. वर्तमान समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1 में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए सहयोग के अन्य पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निर्देश एवं प्रकार।

अनुच्छेद 4

1. आपसी सहमति से पक्षकार वर्तमान समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के ढांचे के भीतर एक दूसरे को सामग्री एवं अन्य सूचना प्रदान करेंगे।
2. सूचना के आदान-प्रदान में, ऐसी सूचना भेजने वाले पक्ष को राष्ट्रीय कानून एवं उसके लेखापरीक्षा अधिदेश का पालन करना होगा।
3. जब सूचना प्राप्त होती है, तो जिस पक्ष को सूचना प्राप्त होती है, वह इसकी गोपनीयता की गारंटी देगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब यह सूचना सूचना के स्रोत के राष्ट्रीय कानून के अनुसार सार्वजनिक हो।

4. यदि पक्षों में से किसी एक का मानना है कि सूचना के प्रावधान से उसके राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अन्य आवश्यक हित को नुकसान पहुंच सकता है या राज्य की गोपनीयता या कानून द्वारा संरक्षित अन्य आंकड़ों की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है, तो वह ऐसी सूचना को पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

5. सूचना देने से इंकार करने की स्थिति में, दूसरे पक्ष को इस मामले पर भेजे गए निर्णय में इंकार करने के कारणों को इंगित किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

वर्तमान समझौता ज्ञापन के अंतर्गत क्रियाकलापों के सम्पादन के दौरान के दौरान प्रत्येक पक्ष को राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों या व्यक्तिगत कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित लागतों को वहन करना होगा, जब तक कि पक्षों के पूर्व समझौते द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

अनुच्छेद 6

समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत पक्षकार लिखित एवं मौखिक संचार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे।

अनुच्छेद 7

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों की व्याख्या या उनके लागू में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद को पक्षों के मध्य विचार विमर्श एवं बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 8

इस समझौता ज्ञापन में पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 9

1. यह समझौता ज्ञापन कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है एवं यह अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विनियमित किसी भी अधिकार या दायित्व का निर्माण नहीं करता है।

2. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को छह माह की लिखित नोटिस देकर समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। ऐसे मामले में समझौता ज्ञापन ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।

3. जिसके साक्ष्य स्वरूप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपने-अपने संगठनों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस समझौता ज्ञापन पर दिनांक 08 सितम्बर 2025 को दो मूल प्रतियों में, क्रियो, हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक के कार्यालय के लिए

श्री के.संजय मूर्ति
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा सेवा सिएरा लियोन के लिए

अब्दुल अजीज,
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक